कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला–कोरिया (छ0ग0)

// मान्यता नवीनीकरण आदेश//

बैकुण्ठपुर दिनांक 03/07/2026

कं/3345/मान्य0/नवी./2026–27 :::: बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिय बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून के नियम 11 के उप नियम के तहत आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त विद्यालय का नाम पता **(डी.ए.व्ही. पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल. झिलमिली पाण्डवपारा) (कक्षा एल.के.जी. से 12 वीं तक)** के लिए **(माध्यम–अंग्रेजी)** सत्र 2026–27 तक प्रभावशील रहेगी। उपरोक्त स्वीकृति निम्नालिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन अस्थाई रूप से मान्यता नवीनीकरण प्रदान किया जाता है।

शर्तें:–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार के कक्षा बारहवीं के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर I) और बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर II) विद्यालय के लिए बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1 (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) ली की दर्ज संख्या में 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ण तक निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चें के लिए कानून के खण्ड 12(2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चों का या उसके माता–पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि :–
    1. प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से नहीं निकाला जायेगा।
    2. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
    3. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
    4. प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावेगा।
    5. कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश होगा।
    6. शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करें।
    7. शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप–नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगा।
    8. शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों को संलग्न नहीं करें। विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगें।
    9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।

(क्रमशः–02)

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL SECL
PANDAVPARA
DISTT. KORIYA (C.G.)

10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और मानदण्डों का अनुपालन करेगा। अग्रिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधा निम्नानुसार है — विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल, कुल निर्मित का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्रधान पाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष, बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन शेड, बाधित पहुंच, शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।

11. निर्धारित मानक की पूर्ति एक निश्चित समय/अवधि में पूर्ण की जाए।

12. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में कैंपस कोचिंग कक्षाएं नहीं चलायेगा।

13. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय प्रयोजनों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय प्रयोजनों को छोड़कर) राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।

14. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रीकरण के एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी या किसी कानून के तहत सम्प्रति के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।

15. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जायेगा।

16. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जमा करना होगा।

17. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों का सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।

18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार सुनिश्चित किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0

पृ.क्र./3346/मान्य0/नवी./2026–27 बैकुण्ठपुर दिनांक 13/07/2026

प्रतिलिपि–

1. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ।
2. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/सहा0वि0ख0शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठपुर/सोनहत को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष/प्रचार्य/प्रधान पाठक डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल एस.ई.सी.एल. झिलमिली पाण्डवपारा जिला कोरिया छ0ग0 को सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–कोरिया छ0ग0

PRINCIPAL
DAV PUBLIC SCHOOL SECL
PANDAVPARA
DISTT. KORIYA (C.G.)